

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2006/चैत्र 31, 1928(शक)

संख्या- 165

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ., उत्तम नगर, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री मुकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत दिनांक 21.04.2006 को 1120 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से 1705 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 21st April 2006/31 Chaitra 1928

No. 165

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Uttam Nagar, Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Mukesh Sharma, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65, at 1120 hrs. on 21.4.2006.

He was released at 1705 hrs. from the same place on same date."

Siddharath Rao
Secretary